न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 21/2021

1. लाभसिंह पुत्र सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।

.... अपीलांट

बनाम

1. अजमेर कौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
2. जालकौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
3. तेजकौर पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
4. मुख्त्यारो पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
5. सीरो पुत्री सन्तो पत्नी कपूरसिंह जाति बावरी निवासी 5 बी.डी. (बी) तहसील घड़साना हाल चक 22 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला।
6. सरपंच ग्राम पंचायत 17 केएचएम तहसील खाजूवाला।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री दिलीपसिंह विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री दिलीप शर्मा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 की ओर से ।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 07.11.2022**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि इन्तकाल प्रविष्टि संख्या 212 दिनांक 05.01.2021 खिलाफ कानून सहेदाद मिसल, प्राकृतिक नियमो के विरूद्ध तथा एक पक्षीय होने के [illegible] काबिल निरस्ती के है। लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्डस) नियम 1975 के नियम 121 [illegible] में स्पष्ट प्रावधान है कि इन्तकाल की कार्यवाही के समय संबंधित पक्षकार को सुनवाई [illegible] उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया [illegible] विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसको बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन ग्राम पंचायत 17 के.एच.एम. द्वारा कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट अनदेखी करके अपीलांट की गैर हाजिरी में एवं अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, तो काबिले निरस्त के है। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत केवल माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्याय दृष्ट्रान्त के मध्यनजर इन्तकाल दर्ज करने के पूर्व कब्जा काश्त के संबंध में जाँच करना अति आवश्यक है। लेकिन अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका पर कब्जा काश्त के संबंध में कोई भी जाँच नहीं की गई। श्रीमती सन्तो ने अपने जीवनकाल में ही स्वेच्छा से उक्त कृषि भूमि का कब्जा अपीलांट को सौंप दिया था इसलिए इस कृषि भूमि पर अन्य रूप से निरन्तर कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। इन तथ्यों की जाँच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत 17 केएचएम द्वारा भारी भूल की गई है। अतः आदेश दिनांक 05.01.2021 काबिल निरस्ती के है। अपीलांट की माता श्रीमती सन्तो ने वसीयत दिनांक 15.2.2016 को करवाई है। अपीलांट की माता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की शादी अपने जीवन काल में ही कर दी थी तथा उन्हे जितना हक बनता था उतना उनकी शादी में दान दहेज के रूप में दे दिया था तथा वो अपने अपने ससुराल में अपना जीवन राजीखुशी व्यतीत कर रही है। मेरा पुत्र लाभसिंह मेरी काफी सेवा करता है। अतः मैं यह वसीयत करती हूँ कि मेरे मरने के बाद कृषि भूमि का लाभसिंह मालिक होगा। इसप्रकार माता श्रीमती सन्तो की मृत्यु के रोज से ही उक्त कृषि भूमि में वसीयत दिनांक 15.2.16 के आधार पर तमाम अधिकार व हित मुझ अपीलांट में निहित हो चुके है इसलिए वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का केवल मात्र अपीलांट ही अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई पत्रावली मुर्तिब नहीं की गई है बल्कि नामान्तरणकरण संख्या 212 दिनांक 24.12.2020 को भरकर दर्ज कर दिया। तदोपरान्त दिनांक 28.12.2020 को हल्का गिरदावर द्वारा मिलान किया गया है और दिनांक 05.01. 2021 को ग्राम पंचायत 17 केएचएम द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। इस तमाम कार्यवाही से स्पष्ट है कि विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की माता के नाम की खातेदारी भूमि चक 22 बीएलडी के मु0नं0 217/3 के किला नं0 1, 2, 4, 7 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए अपीलांट अपनी उपरोक्त आराजी को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकारी है तथा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपीलांट ने दिनांक 28.01.2021 को नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया जो बाद तैयारी दिनांक 28.01.2021 को वापिस प्राप्त हुई, वकील सलाह मशविरा में अपील करने के लिये कहा। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वो उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी ना होने के कारण हुई है। अपील इल्म से अन्दरमियाद पेश है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल प्रविष्टि 212 दिनांक 05.01.2021 को निरस्त फरमाया जाकर चक 22 बीएलडी के मुरब्बा नं0 217/3 के किला नं0 1, 2, 4, 7 ता 25 में कुल 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान करने इस्तदुवा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्च[redacted] दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप शर्मा हाजिर आये। रेस्पोडेन्ट सं0 1 बावजूद तलवी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.10.22 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 212 दिनांक 05.01.2021 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार एकमात्र उक्त कृषि भूमि के हकदार थे । उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। रेस्पोडेट्स सं0 2 ता 5 अधिवक्ता ने दौराने बहस **श्रीमती पर्वती बनाम दयाराम एवं अन्य 2014 आरबीजे पैरा 19 और 20** न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुवे निवेदन किया कि मृतक के प्राकृतिक वारिसों के नाम से दर्ज इन्तकाल को वसीयत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती जबतक की वसीयत का लाभार्थी वसीयत को सन्देह से परे साबित नहीं कर देता। क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत हमेशा संदेह के घेरे से घिरी रहती है। इस प्रकरण में अपीलांट की वसीयत के खिलाफ रेस्पोडेन्ट द्वारा पुलिस थाना खाजूवाला में एफआईआर सं. 215/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467 , 468, 471 व 120 बी अपीलांट व वसीयत के अनुप्रमाणित साक्ष्यों के खिलाफ विवादित वसीयत की कुटरचना के आरोप में दर्ज है। उक्त एफआईआर की प्रति रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने प्रस्तुत की, इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एफआईआर में उल्लेखित किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की माता सन्तोदेवी को सन्तोदेवी की मृत्यु से पूर्व करीब 15–16 वर्ष पहले ही अपीलांट ने सन्तोदेवी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था जो अपीलांट से अलग ही रहती थी। मृत्यु के दिन भी अपीलांट की माता सन्तोदेवी ने रेस्पोडेन्ट्स व अपीलांट के मध्य उक्त भूमि को बराबर विभाजित करने का मृत्युकालिक कथन किया था इसलिए अपीलांट की वसीयत संदेह से घिरी हुई है। वसीयत ना ही रजिस्टर्ड और ना ही प्राप्त स्टाम्प पर है तथा ना ही किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है तथा ना ही वसीयत में किसी स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर है क्योंकि जिनके हस्ताक्षर गवाह में करवाए है वे अपीलांट के निजी रिश्तेदार है इसकारण वसीयत के सही होने की अवधारणा नहीं की जा सकती है तथा **न्यायिक दृष्टात किशोरसिंह एवं अन्य बनाम नेतराम एवं अन्य 2013 आरआरडी 502 (आरबी)** में भी ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत के आधार [illegible] न्तरण दर्ज किया गया अपील में एसडीओ द्वारा तहसीलदार को रिमाण्ड की गई [illegible] ीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा एसडीओ के आदेश [illegible] रेवेन्यु बोर्ड द्वारा सही ठहराया गया। निर्णय में कहा गया कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण को प्रमाणित करना उचित नहीं [illegible] क्योंकि वसीयत या दत्तक का प्रश्न नामान्तरण जैसी सरसरी कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता ना ही अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण जैसी सरसरी कार्यवाही से हको का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। अपीलांट अनुसार वसीयत दिनांक 15.2.16 को की गई और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स की माता की मृत्यु दिनांक 07.09.2020 में हुई तो इतने वर्ष तक अपीलांट ने उसने पंजीयन कार्यालय या नोटेरी किसी भी सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं करवाई यह विश्वास योग्य नहीं है और इससे साफ हाजिर होता है कि इसकी विश्वनीयता संदिग्ध है। क्योकि अपीलांट ने माता की मृत्यु बाद कूटरचित वसीयत तैयार की है। अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया है जो कि सादे कागत पर लिखी हुई है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 212 दिनांक 05.01. 2021 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन अध्ययन से प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि वसीयत की विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत सादे कागज पर लिखी हुई है जिसकी प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण काबिले ए खारिज है। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट धारा 75 एलआरएक्ट प्रदत्त प्रावधानों एवं धारा 151 सीपीसी का में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे अस्वीकार की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested